

4  $\frac{6}{25}$

पत्रावली पैसा। पार्थी व वकील पार्थी को  
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-  
बार आवाज लगाने के पश्चात भी पार्थी  
व वकील पार्थी न्यायालय में हाजिर  
नहीं आये। अतः पार्थी का प्रार्थना पत्र  
अन्तर्गत धारा 212 RTI अपम हाजरी  
अपम परेवी में खरीप किया जाता है।  
पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से  
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
दंतारामगढ़ (सीकर)